न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 32/18 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. हेमा आत्मज लच्छीराम जाट आयु वयस्क निवासी पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. रामा आत्मज लच्छीराम जाट आयु वयस्क निवासी पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. श्रीराम आत्मज लच्छीराम जाट आयु वयस्क निवासी पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4. हीरालाल आत्मज लच्छीराम जाट आयु वयस्क निवासी पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5. लहरूलाल आत्मज लच्छीराम जाट आयु वयस्क निवासी पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1. बादामी बेवा मोहन जाट आयु वयस्क निवासी पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. मांगू आत्मज सोहन जाट आयु वयस्क निवासी पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. मोहन आत्मज नानू जाट आयु वयस्क निवासी पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4. मांगी पत्नि नानु जाट आयु वयस्क निवासी पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5. पारस आत्मज लोबु जाट आयु वयस्क निवासी पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6. देवीलाल आत्मज लोबु जाट आयु वयस्क निवासी पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7. बदाम पुत्री लोबु जाट आयु वयस्क निवासी पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8. नोसर पुत्री लोबु जाट आयु वयस्क निवासी पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9. शंकरी पुत्री लोबु जाट आयु वयस्क निवासी पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10. भैरूलाल मुतबन्ना किशना जाट आयु वयस्क निवासी पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11. हीरालाल आत्मज नाथु जाट आयु वयस्क निवासी पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
12. भंवरलाल आत्मज मांगीलाल जाट आयु वयस्क निवासी पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
13. धन्नालाल आत्मज मांगीलाल जाट आयु वयस्क निवासी पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
14. सुन्दरबाई बेवा मांगीलाल जाट आयु वयस्क निवासी पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
15. लोभु आत्मज हजारी जाट आयु वयस्क निवासी पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

16. रामा आत्मज हजारी जाट आयु वयस्क निवासी पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
17. नैनू आत्मज हजारी जाट आयु वयस्क निवासी पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
18. बद्रीलाल आत्मज उदयराम जाट आयु वयस्क निवासी मेरनियाखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद

अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 18.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प पीथा का खेडा मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम पीथा का खेडा पटवार हल्का पीथा का खेडा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 1062/459 रकबा 0.08 है0, 1064/460 रकबा 0.11 है0 कुल किता दो कुल रकबा 0.19 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 तक मय नक्शा ट्रेस साथ प्रस्तुत है।

प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारो तरफ सीमा के कोई मूश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को कास्त करने, कास्त का लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने में दरम्यान पक्षकारान आपस में बराबर सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है। जिससे प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाना आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण संख्या 1 लगायात 18 प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ के पडोसी होने से उन्हें पक्षकार विपक्षीगण बनाये गये हैं। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा उक्त आराजियात की पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जबाव देते रहे। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अंतिम बार दिनांक 27/04/2018 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढी कराने से इन्कार हो गये। जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थनापत्र पेश करने हेतु विवश होना पडा है। बिनाय प्रार्थनापत्र दिनांक 27/04/2018 से उत्पन्न होकर निरंतर जारी है और यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि सादर प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 01.05.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रार्थीगण उपस्थित है तथा विपक्षी संख्या 03,5,15, उपस्थित है जो पत्थरगढी कराने मे किसी प्रकार का एतराज नही किया है अन्य विपक्षीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम पीथा का खेडा पटवार हल्का पीथा का खेडा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 1062/459 रकबा 0.08 है0, 1064/460 रकबा 0.11 है0 कुल किता दो कुल रकबा 0.19 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षरे सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 200/– अक्षरे दो सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा